प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 26.03.2025

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 स्कूटी बरामद ।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 26.03.2025 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 अभियुक्त आरिफ उर्फ मूसी पुत्र शौकत कुरैशी निवासी असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष को सरकारी अस्पताल फर्रुखनगर के पास से चोरी का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 स्कूटी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उर्फ मूसी पुत्र शौकत कुरैशी उपरोक्त के विरुद्ध धारा - 317(2), 317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उर्फ मूसी पुत्र शौकत कुरैशी उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त आरिफ उर्फ मूसी व उसका साथी आदिल उर्फ टर्रे पुत्र अताह मोहम्मद निवासी ग्राम असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीलामोड गाजियाबाद पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके है और कई मुकदमे न्यायालय में चल रहे है। जिनके खर्च की पूर्ति के लिये दोनों लोग चोरी व लूट की घटना कारित करते रहते है तथा बरामद मोबाइल फोन को इन दोनों ने कुटी भौपुरा से 2-3 माह पूर्व चोरी किया था व बरामद स्कूटी इन दोनों ने थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र से करीब 1.5 वर्ष पूर्व चोरी की थी। फरार अभियुक्त आदिल उर्फ टर्रे पुत्र अताह मोहम्मद की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-
आरिफ उर्फ मूसी पुत्र शौकत कुरैशी निवासी असालतपुर फर्रुखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:–
चोरी का 01 मोबाइल फोन व चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-
गिरफ्तार अभियुक्त आरिफ उर्फ मूसी के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर चोरी व मारपीट करने के सम्बन्ध में 02 अभियोग, थाना इन्दिरापुरम व मुरादनगर पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01-01 अभियोग व थाना मसूरी पर लूट का 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 05 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा खाना बनाते समय रोटी पर थूकने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण:- दिनांक 25/26.03.2025 को थाना टीलामोड़ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि तुलसीनिकेतन चौकी क्षेत्र में गगन विहार में एक व्यक्ति के द्वारा खाना बनाते समय थूक कर रोटी बनाई जा रही हैं। इस सूचना

पर तत्काल थाना टीलामोड़ पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है तो संज्ञान में आया कि मनीष पुत्र अतरू जो कि थाना टीलामोड़ के रहने वाले हैं। इनके यहां दिनांक 25/26.03.2025 की रात्रि में माता का जागरण था और यहां पर शावेज पुत्र हारून जो की प्रेमनगर लोनी का रहने वाला है जो कि तंदूर में रोटी बनाने का काम करता है। जिसे रोटी बनाने के लिए बुलाया गया था और जिसके द्वारा रोटी बनाते समय रोटी पर थूका जा रहा था।

जिसके सम्बन्ध में वादी मनीष पुत्र अतरू द्वारा जागरण के दौरान तन्दूर पर रोटी बनाते समय रोटी पर थूकने वाले 01 अभियुक्त शावेज पुत्र हारुन के विरुद्ध लिखित तहरीर दी गई। जिस पर थाना टीलामोड़ पुलिस द्वारा तत्काल तहरीर के आधार पर धारा 272,271 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर मौके से खाना बनाते समय रोटी पर थूकने वाले 01 अभियुक्त शावेज पुत्र हारुन निवासी 52 पीर वाली गली प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम डोला थाना सिघांवली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शावेज पुत्र हारुन उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शावेज पुत्र हारुन उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त शावेज द्वारा तुलसीनिकेतन चौकी क्षेत्र अन्तर्गत गगन विहार में जागरण में खाना बनाने के लिए आया था। जिसके द्वारा जागरण में बनाए जा रहे खाने में थूक लगाकर रोटियाँ बनी जा रही थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शावेज पुत्र हारुन निवासी 52 पीर वाली गली प्रेमनगर लोनी गाजियाबाद मूल पता ग्राम डोला थाना सिघांवली अहीर जनपद बागपत उम्र करीब 22 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त शावेज पुत्र हारुन उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा मारपीट,गाली गलौच व हत्या के प्रयास के अभियोग के वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 24.03.2025 को थाना लोनी पर वादी आमिर पुत्र नवाब शेर निवासी जैन कॉलोनी अशोक विहार लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त रिहान व चीनू ने अन्य साथी के साथ मिलकर वादी के भाई यूनुस के साथ गाली गलौच व मारपीट करना तथा अभियुक्त रिहान द्वारा वादी के भाई के पेट में धारदार हथियार से वार करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 115(5)/118(1)/352/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्य संकलन व चिकित्सक के बयानों के आधार पर अपरोक्त अभियोग में धारा 109 /3(5) बीएनएस की वृद्धि की गई।

दिनांक 25.03.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग में नामित व घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1.रिहान पुत्र दिलशाद निवासी शौकीन मलिक चौक अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष 2.चीनी उर्फ चीनू उर्फ तसलीम पुत्र असगर निवासी आशियाना सिटी गढी सब्लू रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद हुआ जिसके आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई। जानकारी प्राप्त हुई है कि घायल यूनुस उपरोक्त की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्राप्ति पर अभियोग में धारा वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि रिहान की पूर्व में यूनुस पुत्र नबाब शेर निवासी अशोक बिहार से कहासुनी हो गई थी। यूनुस ने रिहान को की गालियां दी थी जिससे रिहान मोहल्ले में अपनी बेईज्जती महसूस कर रहा था। उसी बेईज्जती का बदला लेने के लिए वह यूनुस से रजिंश मान रहा था। हम दोनों ने युनुस से बदला लेने के लिए दिनांक 23.03.2025 की रात में उसे अकेला पाकर यूनुस से गाली गलौच करते हुए मारपीट की व चीनी उर्फ चीनू उर्फ तसलीम ने युनुस के हाथ पकड लिये व मैंने (रिहान) यूनुस के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया और हम दोनों उसे धमकी देकर मौके से भाग गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.रिहान पुत्र दिलशाद निवासी शौकीन मलिक चौक अशोक विहार थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष 2.चीनी उर्फ चीनू उर्फ तसलीम पुत्र असगर निवासी आशियाना सिटी गढी सब्लू रोड अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है ।अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित 25,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना ट्रोनिका सिटी पर दिनांक 14-01-2025 को सूचना मिली कि चौकी क्षेत्र मण्डोला के आवास विकास के क्षेत्र जंगल में बने सीवर के गहरे गडडे में गो-वंश के अवशेष मिले थे, उपरोक्त सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा- 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात घटना का अनावरण करते हुए प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.आहद 2.चांद कुरैशी उर्फ 3. साजिद उर्फ सदुआ 4.अज्जू उर्फ बज्जू उर्फ बजाहत 5. हसनैन 6. नसीम पुत्र रहीसुद्दीन को जेल भेजा जा चुका है।

दिनांक 25.03.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 25,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त अनस पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला नाला थाना कोतवाली जिला सम्भल, उम्र करीब 27 वर्ष को पुस्ता रोड से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त अनस ने पूछताछ पर उपरोक्त का समर्थन करते हुए बताया कि दिनांक 12.01.2025 को उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी की घटना कारित की थी। पुलिस की डर की वजह से फरार हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनस पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला नाला थाना कोतवाली जिला सम्भल, उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी श्री महेशचन्द गर्ग निवासी लोहिया नगर थाना सिहानीगेट गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि राजपाल, लाल सिंह उर्फ टीटू, टीटू उपरोक्त के 02 भतीजे नाम पता अज्ञात व अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा वादी की तिगरीगोल चक्कर मैन ताज हाईवे स्थित 800 वर्ग गज जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करना व वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए 11.50 करोड रुपये की फिरौती/रंगदारी मांगना। प्राप्त लिखित सूचना के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल धारा 329(3)/62/351(2)/351(3)/308(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 25.03.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तगण 1. लाल सिंह उर्फ टीटू पुत्र राजपाल निवासी

अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष 2. गौरव उर्फ बन्टी यादव पुत्र जयवीर सिंह निवासी अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को ताज हाईवे माया फार्म हाउस कट थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त लाल सिंह उर्फ टीटू द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि हम लोगों की जमीन ताज हाईवे पर तिगरी गोल चक्कर के पास थी जिसको हमने काफी समय पहले बेच दिया था परन्तु खतौनी में हमारे नाम अभी भी चल रहे हैं जिसका फायदा उठाते हुए हम लोग और अधिक पैसा कमाने के लालच में विवाद खडा करके उस पर निर्माण कार्य नही होने दे रहे थे तथा जमीन मालिक को डरा धमकाकर उससे अच्छा पैसा वसूल करना चाहते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.लाल सिंह उर्फ टीटू पुत्र राजपाल निवासी अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष

2. गौरव उर्फ बन्टी यादव पुत्र जयवीर सिंह निवासी अकबरपुर बहरामपुर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अवैध कब्जा करने के संबंध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी व टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक जोड़ी सोने के कान के कुंडल, एक जोड़ी टोप्स लड़ी सहित, एक सोने की टिकिया गलाई हुई, 2000/ रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक टैम्पो बरामद।

दिनांक 18.03.2025 को थाना अंकुर विहार पर एक वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 18.03.2025 को दोपहर के समय जब मैं ऑटो में बैठकर अस्पताल जा रही थी तभी उस ऑटो चालक व उसमें पूर्व से बैठे दो अन्य लड़को ने मुझसे यह झूठ बोलकर कहा कि आगे कोरोना की चेकिंग चल रही है, अपने सोने के आभूषण उत्तार कर रख लो। मैने झांसे में आकर उनके कहने पर अपने कान के कुंडल व गले में पहना छोटा सा लाकेट तथा 2200 रुपये एक रुमाल मे बांधकर अपने बैग में रख लिये। इसके बाद उनमें से एक लड़के ने मुझसे कहा कि यह बैग मुझे दे दो मैं यह बैग पीछे रख दूंगा। इसके बाद मैंने आटो से उतर कर देखा कि मेरे बैग में रखे सोने के आभूषण एवं रुपये नही मिले तब मैं समझी कि इन लोगों ने मुझको बहका कर मेरे साथ धोखाधड़ी कर ली और मेरे उपरोक्त सामान को चोरी करके फरार हो गये। इस सूचना पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 303(2)/318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 26.03.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चोरी व टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 04 अभियुक्तगण 1. अमित कश्यप पुत्र उदयवीर कश्यप निवासी हाल पता म0नं0 2/56 ब्लाक नं0 2 खिचड़ीपुर थाना गाजीपुर मंडी दिल्ली, मूल पता ग्राम मालेंडी थाना गढी पुख्ता जनपद शामली उम्र करीब 40 वर्ष 2. नूर इमाम पुत्र मौ0 यूनुस निवासी अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

3. विरेन्द्र बंसल पुत्र बुधराम निवासी मुकुंद विहार गली नं0 15 निकट पंजाब नेशनल बैंक थाना करावल नगर दिल्ली उम्र 38 वर्ष 4. प्रमोद पुत्र मोहर सिंह निवासी गली नं0 2 संगम विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष को गढ़ी कटैय्या गांव से डीएलएफ की तरफ सर्विस रोड थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से गाजियाबाद व दिल्ली में की गई चोरी व टप्पेबाजी की अलग अलग घटनाओं से प्राप्त एक जोड़ी सोने के कान के कुंडल, एक जोड़ी सोने के टोप्स लड़ी सहित, एक सोने की टिकिया गलाई हुई, 2000/ रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक टैम्पो बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2),338,336(3),340(2) व 61(2) बीएनएस की वृद्धि कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम टप्पेबाजी व चोरी की घटनाओं को दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र मे अंजाम देते हैं। दिनांक 18.03.2025 में थाना अंकुर विहार में खन्नानगर गढी कट्टैया अण्डरपास के पास से एक महिला को हमनें आटों में बैठाकर उससे सोने के कुण्डल, गले का ओम वाला लाकेट व 2200 रुपये की टप्पेबाजी की थी तथा हम सब ने मिलकर एक दूसरी घटना दिनांक 22.03.2025 को रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र मे एक महिला से एक पैंडिल व लाकेट की टप्पेबाजी की घटना की थी और उसके बाद दिनांक 23.03.2025 को सी ब्लाक गली नं0 15 खजूरी चौक से एक महिला से 40 हजार रुपये तथा ये टॉपनुमा कुण्डल चोरी किये थे। इन सभी घटनाओं में अभियुक्त नूर इमाम व सोनू चोरी व टप्पेबाजी करते हैं। अभियुक्त अमित कश्यप सवारी बनकर टैंपो मे बैठता है और नरेश उर्फ मोटा लाला टैंपो चलाता है। प्रमोद इनकी मुखबिरी व पुलिस से बचाने के नाम पर ठेकेदारी करता है। टप्पेबाजी व चोरी किये ज्वैलरी आदि को हम सुनार विरेन्द्र बंसल को कम दामो पर बेचते हैं। विरेन्द्र बंसल माल को आगे बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेता है। इस तरह से मिलकर हमने गैंग बना रखा है। इससे कमाये गये रुपयों को हम लोग अपने शौक पूरे करते हैं। बरामद टैंपो के बारे मे पूछताछ करने पर बताया कि हम सबने मिलकर यह टैंपो एक व्यक्ति से सस्ते दाम में खरीद लिया था जिसकी मरम्मत आदि कराकर चैसिस नं0 व इंजन नं0 को मिटाकर अन्य टैंपो के नं0 DL1RAB2098 के चेसिस नं0 व इंजन नम्बर फर्जी गुदवा लिये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता –</u>

1. अमित कश्यप पुत्र उदयवीर कश्यप निवासी हाल पता ब्लाक नं0 2 खिचड़ीपुर थाना गाजीपुर मंडी दिल्ली, मूल पता ग्राम मालेंडी थाना गढी पुख्ता जनपद शामली, उम्र करीब 40 वर्ष
2. नूर इमाम पुत्र मौ0 यूनुस निवासी अंसार विहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष
3. विरेन्द्र बंसल पुत्र बुधराम निवासी मुकुंद विहार गली नं0 15 निकट पंजाब नेशनल बैंक थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र 38 वर्ष
4. प्रमोद पुत्र मोहर सिंह निवासी गली नं0 2 संगम विहार थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद, उम्र 41 वर्ष

<u>वांछित अभियुक्तगण का नाम पता-</u>

1.नरेश उर्फ मोटा लाला निवासी गंगा विहार थाना अंकुर विहार

2.सोनू निवासी खिचडीपूर दिल्ली

<u>बरामदगी का विवरण</u>

1. 01 जोड़ी सोने के कान के कुंडल
2. 01 जोड़ी सोने के टोप्स लड़ी सहित
3. 01 सोने की टिकिया गलाई हुई
4. 2000/ रुपये नगद
5. घटना में प्रयुक्त एक टैम्पो

<u>आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग</u>

अभियुक्तगण नूर इनाम व अमित कश्यप उपरोक्त के विरुद्ध चोरी/ टप्पेबाजी के 02 अभियोग दिल्ली, 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी तथा 02 अभियोग टप्पेबाजी व बरामदगी के थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त के विरुद्ध चोरी के 05 अभियोग दिल्ली, 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी तथा 02 अभियोग टप्पेबाजी व बरामदगी के थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त विरेन्द्र बंसल उपरोक्त के विरुद्ध चोरी का 01 अभियोग थाना खजूरी दिल्ली, 01 अभियोग थाना ट्रोनिका सिटी तथा 02 अभियोग टप्पेबाजी व बरामदगी के थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा सर्राफा व्यापारी को छल एवं धोखे से नकली सोना बेचकर उससे असली सोने के आभूषण एवं रूपये ठग लेने वाले 02 अभियुक्त को किया गिरफ्तार व कब्जे से सोने, चांदी के आभूषण एवं 600000/- रूपये नगद बरामद

दिनांक 21.03.2025 को वादी श्री मनोज कुमार वर्मा की तहरीर जिसमें अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के साथ धोखाधड़ी व छल करके 450 ग्राम नकली सोना देकर असली 99 ग्राम सोना व 939 ग्राम चांदी के आभूषण (कुल कीमत लगभग 10 लाख रूपये) एवं 20 लाख रूपये नकद ले जाने की सूचना पर तत्काल थाना विजयनगर पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी।

आज दिनांक 26.03.2025 को थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास , सर्विलांस सेल एवं मुखबिर की सूचना के आधार पर दो अभियुक्त 1. लड्डू पुत्र बसन्ती लाल निवासी ग्राम ठिकरिया थाना नागल जिला दोसा राजस्थान हाल पता ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद 2. गंगा सिंह पुत्र सुआलाल निवासी गंजखेली निकट रेलवे लाईन थाना गंजखेली जिला अलवर राजस्थान हाल पता ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम जनपद गाजियाबाद को रेलवे स्टेशन विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त

1. लड्डू पुत्र बसन्ती लाल निवासी ग्राम ठिकरिया थाना नागल जिला दोसा राजस्थान हाल पता ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 40 वर्ष।
2. गंगा सिंह पुत्र सुआलाल निवासी गंजखेली निकट रेलवे लाईन थाना गंजखेली जिला अलवर राजस्थान हाल पता ग्राम कनावनी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद उम्र 60 वर्ष।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम सर्राफा मार्केट में जाकर सुनार को विश्वास में लेकर उनको धोखे से नकली सोना बेच देते है तथा उनसे कुछ सोने , चांदी के आभूषण ले लेते है तथा बाकि रूपये ले लेते है तथा उसे आपस में बांट लेते है। दिनांक 21.03.2025 को हमने विजयनगर सर्राफा मार्किट में हमने अपने साथी सुरेश के साथ मिलकर लक्ष्मी ज्वेलर्स के मालिक को नकली सोना बेचा था तथा उससे कुछ सोने चांदी के आभूष लिये तथा बाकि के रूपये ले थे। जो सामान तथा रूपये हमसे बरामद हुये है वही उसी से सम्बन्धित है। आज हम अपने गांव जा रहे थे कि पुलिस द्वारा पकड़ लिये गये।

बरामदगी का विवरणः-

1. 02 पैंडिल, 01 मंगलसूत्र, 02 अंगूठी, 02 जोड़ी कानो के झुमके, 01 चैन, 01 जोड़ी कानो के बुन्दे(बाली) पीली धातु के बरामद।
2. 03 जोड़ी पायल सफेद धातु की बरामद।
3. 600000/-रूपये नकद बरामद।

गिरफ्तार एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।